Seventeenth Loksabha

>

Ttile: Need to provide SPG protection to Ex-Prime Minister and their families.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं शुरुआत में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे मेरी पूरी बात कहने का मौका दिया जाए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक गंभीर मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूं । जिस मुद्दे को लेकर सारे हिन्दुस्तान की आम जनता चिन्ता और शंका में है, वह हमारी पार्टी के नेताओं, गांधी परिवार के सदस्यों की जान खतरे में है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कल इस विषय पर बोल चुके हैं ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, आप सब जानते हैं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के परिवार को जो एसपीजी प्रोटेक्शन मिला हुआ था, यह मामूली प्रोटेक्शन नहीं है। सर, मुझे मेरी बात रखने दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको अभी एसोशिएट करने के लिए नहीं कहा है । एसोशिएट माना भी नहीं है ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैडम इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद यह तय किया गया था कि हिन्दुस्तान का जो पी.एम. होगा, उनको और उनके परिवार को एसपीजी प्रोटेक्शन दिया जाएगा और खासकर

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांधी परिवार को एसपीजी प्रोटेक्शन देने की इजाजत दी थी । वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 2019 तक आज 28 साल हो गये हैं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका दिया गया, आपने किसानों के मामले में सवाल उठाया था ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने किसानों से संबंधित समस्या के बारे में सवाल नहीं उठाए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने नियम-प्रक्रिया के तहत बोल दिया है ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, वर्ष 1991 से वर्ष 2019 के बीच में एनडीए सरकार एक बार नहीं, बल्कि दो बार थी, लेकिन गांधी परिवार के ऊपर से एसपीजी कवर कभी नहीं हटाया गया।...(व्यवधान) इन लोगों को क्या हो गया है?...(व्यवधान) ...*

HON. SPEAKER: No.

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, इनका नोटिस एडजर्नमेंट एडजन्मेंट मोशन के लिए है, जो आपने खारिज कर दिया है ।...(व्यवधान) इनका जीरो ऑवर का विषय नहीं है, तो यह जीरो ऑवर में विषय

कैसे उठा सकते हैं ?... (व्यवधान) यह पहले नोटिस दें, फिर विषय उठाएं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री पशुपति नाथ सिंह ।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने यह विषय कल भी रखा था ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियम-प्रक्रिया के तहत आएं ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री पशुपति नाथ सिंह जी ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: इन लोगों की जान खतरे में है ।...(व्यवधान) सोनिया गांधी जी...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन जी ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती गीताबेन जी ।

…(व्यवधान)…*

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I will conclude in two minutes. Any smart man and wise man would put out the spark at the sight of it. But my friends in the ruling side are not knowing the gravity of the situation. The Ruling Party has not extended the security to Madam Gandhi Ji on the ground that there is no threat perception. Here there is a threat perception. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

Now, Smt. Pratima Mondal.

… (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU: I quote what the Government has said by way of the ‘14^{th} May Notification’. While extending the ban on the LTTE, the Home Ministry, in the Notification on the 14^{th} May, has said that the group continued violent and disruptive activities prejudicial to the integrity and sovereignty of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रतिमा मण्डल जी, क्या आप बोलना चाहती हैं ?

…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : “It continues to adopt a strong anti-India posture and also continues to pose a grave threat to the security of the Indian nationals.” Sir, she is an Indian national. …(*Interruptions*)